

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
लोक सभा  
लिखित प्रश्न सं. +1276  
सोमवार, 06 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

**पर्यटन उद्योग के लिए विशेष पैकेज**

**+1276. प्रो. सौगत राय**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या महामारी के कारण देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;
- (ख) यदि हां, तो तदनुरूपी अवधि और पिछले वर्षों की तुलना में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है;
- (ग) क्या सरकार का देश के पर्यटन उद्योग के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने का विचार है;
- (घ) यदि हां तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और
- (ड.) सरकार द्वारा देश में पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री**

**(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) और (ख): वर्ष 2020 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) वर्ष 2019 के 1,09,30,355 की तुलना में 74.9% की नकारात्मक वृद्धि के साथ 27,44,766 था। जनवरी-सितंबर 2021 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) जनवरी-सितम्बर, 2020 के 25,41,751 की तुलना में 73.4% की नकारात्मक वृद्धि के साथ 6,75,012 (अनंतिम) थी।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय राहत उपायों की घोषणा की है जिनसे पर्यटन उद्योग का पुनरुद्धार होने की आशा की जाती है। ये उपाय **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ड.): देश में पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## अनुबंध-1

पर्यटन उद्योग के लिए विशेष पैकेज के सम्बन्ध में दिनांक 06.12.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +1276 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में विवरण।

सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय और राहत उपाय निम्नलिखित हैं, जिनसे पर्यटन उद्योग का पुनरुद्धार होने की आशा की जाती है :

- i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने का ऋण-स्थगन होगी।
- ii. सरकार ने 100 से कम कर्मिकों वाले और जिनके 90 % कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।
- iii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12 % से घटाकर प्रत्येक के लिए 10 % कर दिया गया है।
- iv. स्रोत पर कर एकत्रण (टीसीएस) को अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
- v. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगित, बाकी पर 9 % की दर से दंडात्मक ब्याज।
- vi. केंद्र सरकार ने भी व्यापार निरंतरता और उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए कोविड -19 महामारी के संकट के मद्देनजर अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत दी।
- vii. भारतीय रिजर्व बैंक ने आवधिक ऋण पर स्थगन 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है।
- viii. भारत सरकार ने 31.03.2021 को पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की है। आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। यह योजना 31.03.2021 तक वैध है। ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 30.06.2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि 30.09.2021 तक बढ़ा दी गई है। योजना के अन्तर्गत जारी गारंटियों का विवरण नम्नानुसार है:-

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) पर्यटन और आतिथ्य योजना के अनुसार 30.09.2021 तक के आंकड़े			
उद्योग की प्रकृति	इसके तहत सहायता	जारी की गई गारंटी की संख्या	योजना के तहत स्वीकृत ऋण के मद में जारी गारंटियों की राशि (करोड़ रु में)
यात्रा और पर्यटन	ईसीएलजीएस 3.0	2,732	1,371.62
आतिथ्य	ईसीएलजीएस 3.0	3,160	5,430.96
होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन	ईसीएलजीएस 2.0	218	3,403.90
पर्यटन, होटल एवं रेस्टोरेंट	ईसीएलजीएस 1.0	96,219	3559.43
<b>कुल</b>		<b>1,02,329</b>	<b>13,765.91</b>

- ix. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को एसईआईएस स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है। इससे पहले, कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 2019-20 के लिए एसईआईएस जारी रखने के वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दी है कि राशि एक नया लघु शीर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यय बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- x. 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास और रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।
- xi. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।
- xii. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।
- xiii. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड- 19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के

लिए "साथी" (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली (नामक एक पहल विकसित की गई है।

- xiv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है।
- xv. होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणीकरण की वैधता, जिनका परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने वाला है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
- xvi. विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।
- xvii. 28 जून 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (एलजीएससीएटीएसएस) के लिए ऋण गारंटी योजना" लागू करने की घोषणा की है। इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड और राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारक शामिल होंगे। टीटीएस 10.00 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे जबकि प्रत्येक पर्यटक गाइड 1.00 लाख रुपये तक का ऋण ले सकता है।

पर्यटन मंत्रालय के एलजीएससीएटीएसएस का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपर्युक्त लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना है, ताकि उनकी देनदारियों का निर्वहन किया जा सके और कोविड -19 महामारी के कारण प्रभावित उनके व्यवसाय को फिर से शुरू किया जा सके।

उक्त योजना की वैधता 31.03.2022 तक या योजना के तहत 250.00 करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक है, जो भी पहले हो और 04.10.2021 को या उसके बाद योजना के तहत स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर 31.03.2022 तक लागू होगा [राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा एलजीएससीएटीएसएस दिशानिर्देश जारी करना]। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए एनसीजीटीसी द्वारा साहूकार संस्थानों (एमएलआई) से कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

\*\*\*\*\*

पर्यटन उद्योग के लिए विशेष पैकेज के सम्बन्ध में दिनांक 06.12.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +1276 के भाग (ड.) के उत्तर में विवरण।

देश में पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम निम्नानुसार हैं:-

- (i) गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच & एफडब्ल्यू) के कोविड से संबंधित दिशानिर्देशों के अधीन पर्यटन उद्देश्यों के लिए भारत आने के इच्छुक सभी विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिबंध में ढील दी है। ई-पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा उन सभी व्यक्तिगत विदेशी नागरिकों के लिए 15 नवंबर, 2021 से पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है जो पर्यटन उद्देश्यों के लिए भारत आने का इरादा रखते हैं। शुरू में, ई-पर्यटक/पर्यटक वीजा 30 दिनों की वैधता के साथ जारी किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पहले 500,000 मुफ्त वीजा की घोषणा की है। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को पुनः शुरू करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो अनुबंध में दिए गए हैं।
- (ii) पर्यटन मंत्रालय ने योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए नवंबर 2020 में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, हितधारकों को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। अब राज्य सरकारों/संघ शासितक्षेत्रों के प्रशासन के पर्यटन विभाग भी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।
- (iii) पर्यटन मंत्रालय ने दिसंबर, 2020 में 'पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन सेवा प्रदाताओं की मान्यता' के लिए एक समेकित एकल दिशानिर्देश में सेवा प्रदाता की मान्यता/अनुमोदन के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है ताकि उनकी पहुंच और दायरे को बढ़ाया जा सके। .

संशोधित दिशानिर्देश जनवरी, 2021 से प्रभावी हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत मान्यता, तीन व्यापक उप-श्रेणियों के तहत दी जाएगी (1) दूर ऑपरेटर (इनबाउंड, डोमेस्टिक, एडवेंचर, एमआईसीई), (2) ट्रेवल एजेंट, और (3) पर्यटक परिवहन संचालक। इन तीन उप-श्रेणियों में ऑनलाइन मोड के माध्यम से पर्यटकों के लिए आवश्यक व्यवस्था करने वाले ऑपरेटर/एजेंसियां भी शामिल होंगी।

आत्मनिर्भर के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार ग्रीनशूट/स्टार्ट-अप एजेंसियों की एक श्रेणी शुरू की गई है।

- (iv) मंत्रालय ने जनवरी 2020 में देखो अपना देश पहल की शुरुआत की थी, जिसका मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट तथा घरेलू भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है। इस पहल के तहत मंत्रालय हितधारकों के साथ जुड़े रहने और नागरिकों को देश के भीतर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वेबिनार, प्रश्नोत्तरी, प्रतिज्ञा, चर्चा, रोड शो आयोजित करता रहा है। मंत्रालय ने अपने लॉन्च के बाद से देखो अपना देश ब्रांड लाइन के तहत कुल 109 वेबिनार आयोजित किए हैं।
- (v) मंत्रालय और घरेलू कार्यालयों के सोशल मीडिया हैंडल पर देश के गंतव्यों, उत्पादों, त्योहारों, व्यंजनों आदि के संवर्द्धन के लिए प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

\*\*\*\*\*